183

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—13.12.2017

संख्या—11/एम0(स्था0)—14/2013—874(11)/भारत के संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, "बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।**—(1) यह नियमावली "बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. **बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2015 के परिशिष्ट—1 का प्रतिस्थापन।**— उक्त नियमावली, 2015 का परिशिष्ट—1 निम्नलिखित नये परिशिष्ट—1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"परिशिष्ट—1

[नियम 2(viii), 4, 16, 17 द्रष्टव्य]

बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग का पदसोपान/कोटि

क्रमांक	कोटि/पदसोपान	पदनाम
1.	मूल कोटि	मलेरिया निरीक्षक
2.	प्रोन्नति का सोपान	वरीय मलेरिया निरीक्षक

नोट।— उपर्युक्त सभी कोटि/पदसोपान का वेतन बैंड/ग्रेड—पे/लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित किया जाय।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक :— 11/एम0(स्था0)—14/2013—874(11) पटना, दिनांक:—13.12.2017

प्रतिलिपि :— उप सचिव, ई—गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

अजय कुमार